



राजस्थान RAJASTHAN

BL 220005

दस्तावेज किरायानामा

प्रथमपक्ष किरायेदार :-

श्री टिकूराम पिता मुल्ताना राम, आयु वयस्क, निवासी मंडो की ढाणीया, श्री राम नगर जोधपुर राजस्थान।

आधार नं. 8769 6101 7573

बहक

द्वितीयपक्ष लेण्डलोर्ड :-

श्री मनीष पुरोहित पिता गौरी नंदन पुरोहित, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रातीतलाई, बांसवाड़ा राजस्थान।

आधार नं. 9656 7811 7930

914115942985

यह कि, यह किरायानामा आज दिनांक को प्रथमपक्ष किरायेदार एवं द्वितीयपक्ष लेण्डलोर्ड के मध्य निम्नानुसार निष्पादित किया गया है :-

यह कि, द्वितीयपक्ष स्वामी के स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय एक मंजिला निर्मित मकान, वाके रातीतलाई, बांसवाड़ा राजस्थान 327001 स्थित है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की द्वितीयपक्ष लेण्डलोर्ड एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिपति है। उक्त सम्पत्ति को द्वितीयपक्ष स्वामी को हर प्रकार से अन्तरण करने के सम्पूर्ण कानुनी अधिकार प्राप्त है।

जो कि, प्रथमपक्ष किरायेदार को अपने रेहवास हेतु उक्त आवासीय एक मंजिला निर्मित मकान में से प्रथम फ्लोर निर्मित मकान जिसमें दो कमरे, कीचन, लेट-बाथ निर्मित परिसर की आवश्यकता होने से आज द्वितीयपक्ष स्वामी के उक्त वर्णित परिसर को प्रथमपक्ष किराया अवधि के लिए किराये पर लेना चाहते हैं। उक्त वर्णित किरायेशुदा परिसर को द्वितीयपक्ष स्वामी

SIGNATURE ATTESTED

.....2

-2-

प्रतिमाहवार किराया राशि की 6000/- अक्षरे छ: हजार रूपये प्रथमपक्ष किरायेदार द्वारा अदा करने की शर्त पर निम्न शर्तों के साथ किराये पर देने को तत्पर है। अतः दोनों पक्षों के बीच आपसी रजामन्दी से निम्न शर्तों के साथ किरायानामा अर्थात् किराया चिट्ठी निम्नानुसार निष्पादित की जाती है।

1. यह कि, प्रथमपक्ष किरायेदार ने राशि 6000/- अक्षरे छ: हजार रूपये प्रथमपक्ष किरायेदार की शर्त पर द्वितीयपक्ष मालिक से किरायेदार की शर्त पर लिया है। द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष किरायेशुदा परिसर का आधिपत्य द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष किरायेदार की शर्त पर लिया है।
2. यह 'कि, उक्त परिसर की किरायेदार दिनांक 07.02.2024 होकर दिनांक 06.01.2025 तक 11 माह की अवधि रहेगी। उक्त किरायेदारी अंग्रेजी माह की पहली तारीख से प्रारम्भ होकर अन्तिम तारीख की समाप्ति पर होगी। उक्त प्रतिमाह किराया राशि प्रथमपक्ष किरायेदार, द्वितीयपक्ष स्वामी को हर माह की 7 से 10 तारीख तक आवश्यक रूप से अदा करेगा जिसमें प्रथमपक्ष किरायेदार उक्त किराया राशि की अदायगी में किसी भी प्रकार से कोई चुक या त्रुटि नहीं करेगा। अगर नियमित रूप से प्रथमपक्ष किरायेदार प्रतिमाह किराया राशि अदा नहीं करता है तो द्वितीयपक्ष को उक्त किरायेशुदा परिसर प्रथमपक्ष किरायेदार से खाली करवाकर रिक्त कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा, जिसमें प्रथमपक्ष किरायेदार की कोई उजर आपत्ति काबिल समाप्त नहीं होगी।
3. यह कि, उक्त किरायेशुदा परिसर में द्वितीयपक्ष स्वामी की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार परिवर्तन, परिवर्धन या तामिर कार्य या तोडफोड प्रथमपक्ष किरायेदार नहीं करेगा तथा किसी भी प्रकार की कोई तोडफोड प्रथमपक्ष किरायेदार नहीं करेगा। अगर फिर भी प्रथमपक्ष किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार से उपरोक्त परिसर में तोडफोड या टुटफुट की जाती है तो प्रथमपक्ष किरायेदार स्वयं अपने खर्चे से उसे मरम्मत व दुरस्त करवाकर देगा अन्यथा द्वितीयपक्ष स्वामी को उक्त किरायेशुदा परिसर खाली करवाकर रिक्त कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।
4. यह कि, किराये पर दिये गये परिसर में सामान की चोरी, आगजनी, बाढ़, दंगा, अतिक्रमण, अभियान के पार्किंग सगे सम्बन्धित कोई भी नुकसानी होने पर किरायेदार स्वयं ही जिम्मेदार रहेगा।
5. यह कि, उक्त परिसर को प्रथमपक्ष किरायेदार साफ—सुथरा रखेगा व हर वर्ष अपने स्वयं के खर्चे से परिसर की रंगाई, पुताई आदि करेगें तथा उक्त रकम का किराये की रकम दुरस्ती से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। प्रथमपक्ष किरायेदार उक्त किरायेशुदा परिसर में किसी भी प्रकार से मांस, शराब इत्यादि का व्यवसाय नहीं करेगा।

SIGNATURE ATTESTED

.....3
Jasman Singh Maida, Advocate
Notary Public, Distt. Banswara



6. यह कि, प्रथमपक्ष किरायेदार ⁻³⁻ उक्त किरायेशुदा परिसर में कोई न्यूसेंस पैदा नहीं करेगा तथा उक्त परिसर के निर्माण में किसी भी प्रकार से प्रथमपक्ष किरायेदार क्षति या नुकसान नहीं पहुंचायेगा।
7. यह कि, उक्त किरायेशुदा परिसर को प्रथमपक्ष किरायेदार किसी से सबलेट नहीं करेगा एवं न ही किसी को किसी प्रकार करेगा एवं न ही किसी अन्य को रहन पर दे सकेगा।
8. यह कि, प्रथमपक्ष किरायेदार को उक्त किरायेशुदा परिसर को व्यक्ति या संस्थान को किराये, रहन, सबलेट, लीज या लाईसेंस या भागीदारी में अन्य प्रकार से उपयोग, उपभोग करने हेतु कोई अधिकार नहीं होगा।
9. यह कि, उक्त परिसर में प्रथमपक्ष कोई विस्फोटक पदार्थ या अन्य ऐसा पदार्थ नहीं रखेगा जिससे कि परिसर को क्षति पहुंचे अथवा नुकसान हो। प्रथमपक्ष किरायेदार उक्त किरायेशुदा परिसर में किसी भी प्रकार से निवास के दौरान कोई भी गैर गतिविधि कार्य नहीं करेगा जिससे कि कोई कानुनी मामला बनता हो।
10. यह कि, उक्त परिसर में प्रथमपक्ष किरायेदार कानुन विरोधी किसी भी गतिविधि प्रयोजनार्थ या राजनैतिक गतिविधियों के संचालन हेतु उपयोग व उपभोग में नहीं लेगा।
11. यह कि, प्रथमपक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे परिसर क्षतिग्रस्त होता हो या न्यूसेंस पैदा होता हो या ऐसा कोई अवैधानिक व गलत कार्य नहीं करेगा जिससे फौजदारी/दिवानी मामला बनता हो एवं किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार के अवैधानिक, वैधानिक, बिजली चोरी, आबकारी विभाग सम्बन्धी अवैधानिक कार्य करने से किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही होती है तो उसके लिये किरायेदार स्वयं जवाबदार रहेगी।
12. यह कि, द्वितीयपक्ष स्वामी या उसके परिवार का सदस्य जब भी चाहे उक्त परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे, जिसमें प्रथमपक्ष किरायेदार किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं करेंगे।
13. यह कि, 11 माह की समयावधि के पूर्व द्वितीयपक्ष को किरायेशुदा परिसर की आवश्यकता होती है तो 1 माह पूर्व मौखिक या लिखित रूप से सूचित करने पर किरायेदार खाली कर देगा एवं 11 माह की समयावधि के पूर्व किरायेदार किरायेशुदा परिसर खाली करना चाहता है तो 1 माह पूर्व द्वितीयपक्ष को मौखिक या लिखित रूप से सूचित करने पर खाली कर सकेंगा।
14. यह कि, उक्त 11 माह की किराया अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रथमपक्ष किरायेदार ने जिस अवस्था में किरायेशुदा परिसर प्राप्त किया है उसी अवस्था में प्रथमपक्ष किरायेदार द्वारा किरायेशुदा परिसर का रिक्त आधिपत्य द्वितीयपक्ष लेण्डलोर्ड को उसी दिन सुपूर्द कर देगा एवं

SIGNATURE ATTESTED

.....4

Laxman Singh Maida, Advocate
Notary Public, Distt. Banswara

द्वितीयपक्ष स्वामी उक्त किरायेशुदा परिसर का रिक्त कब्जा अपने
आधिपत्य में ले सकेंगे। यदि प्रथमपक्ष किरायेदार उक्त मकान खाली कर
कब्जा द्वितीयपक्ष मकान स्वामी को सुपूर्द नहीं करता है तो द्वितीयपक्ष
मकान स्वामी को प्रथमपक्ष किरायेदार के विरुद्ध कानुनी कार्यवाही कर
कब्जा खाली करवाकर प्राप्त कर सकेगी, एवं द्वितीयपक्ष को आपत्ति
होगा कि वह प्रथमपक्ष का सम्पूर्ण सामान बाहर रखकर मकान का रिक्त
आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा, जिसमें प्रथमपक्ष किरायेदार की कर्तव्यानुभव
आपत्ति काबिल समायत नहीं होगी।

-4-

15. यह कि, उक्त मकान में विद्युत व जल मीटर स्थापित किया जाएगा। इसका खर्च अलग से अदा किया जायेगा, जो किराया रहेगा।

16. यह कि, उपरोक्त किराया अवधि की समाप्ति के पश्चात् द्वितीयपक्ष स्वामी की सहमति से आगे की किराया अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

लिहाजा यह किराया चिट्ठी प्रथमपक्ष किरायेदार व द्वितीयपक्ष लेण्डलोर्ड ने अपनी अपनी राजीखुशी, स्वेच्छा से, बिना नशे पत्ते के एवं इन्द्रियों की स्वस्थता की हालत में रूबरु गवाहान के समक्ष स्टॉम्प संख्या 1540, दिनांक 07.02.2024, तादादी रु. 100/- व संलग्न पेपर पर निष्पादित कर दिया है। सो सही सनद रहे वक्ता जरूरत काम आवे।

दिनांक :— 07.02.2024

रथान :— बांसवाडा

गवाहान :—

~~1. President Society~~

2. Dr
(Dr. Amresh)

प्रथमपक्ष किरायेदार

द्वितीयपक्ष स्वामी

'1 Krat
(Dr. Teekay Ram)

SIGNATURE ATTESTED

Laxman Singh Maida, Advocate
Notary Public, Distt. Banswara.